

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016

संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 29/16

न0वि0एवंआ0वि0

पटना, दिनांक:- 26/12/16

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-419 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली, 1987 का संशोधन हेतु निम्नालिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन (संशोधन) नियमावली, 1987 के नियम 19 (उन्नीस) को एतद द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/12/2016
(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक:- 26/12/16

संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 29/16

न0वि0एवंआ0वि0

पटना, दिनांक:- 26/12/16

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित/ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 200 प्रतियां नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक:- 26/12/16

संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 29/16

न0वि0एवंआ0वि0

पटना, दिनांक:- 26/12/16

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक:- 26/12/16

संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 29/16

न0वि0एवंआ0वि0

पटना, दिनांक:- 26/12/16

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री, न0वि0एवंआ0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक:- 26/12/16

संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 29/16

न0वि0एवंआ0वि0

पटना, दिनांक:- 26/12/16

प्रतिलिपि:-विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी उप सचिव/सभी उप निदेशक/सभी शहरी स्थानीय निकाय/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

24/12/2016

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Notification

The Bihar Municipal Officers and Servants Pension
(Amendment) Rule, 2016.

Memo No- संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 2917 UD&HD Patna, Dated- 26/12/16 In exercise of the powers conferred by section 419 of Bihar Municipal Act, 2007, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rule, 1987.

1. Short title, extent and commencement. (1) These Rules may be called The Bihar Municipal Officers and Servants Pension amendment Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once

2. Rule 19 of The Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rules 1987 is hereby deleted.

By the order of the Governor of Bihar

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD Patna, Dated- 26/12/16

Memo No- संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 2917
Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette/ E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in E-Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD Patna, Dated- 26/12/16

Memo No- संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 2917
Copy to Chief Secretary, Bihar, Patna/All Principal Secretary/Secretary/ All Divisional Commissioner/All District Magistrates for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD Patna, Dated- 26/12/16

Memo No- संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 2917
Copy to Principal Secretary, to Chief Minister of Bihar, Private Secretary to Minister, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD Patna, Dated- 26/12/16

Memo No- संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 2917
Copy to PS to Principal Secretary/Special Secretary/Deputy Secretary/ All Deputy Directors/ All Urban Local Bodies/All Section Officers and Secretariat Assistants of Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department